न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : 71/**18 (प्रा0पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांकः 07.06.2018 **निर्णय दिनांक : 17.05.2019**

अनवान्

1. श्री भंवरसिंह पिता रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुआ, महुडा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवानसिंह पिता भेरूसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुआ, महुडा तह. मावली।
2. श्री जसवन्तसिंह पिता भेरूसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुआ, महुडा तह. मावली।
3. श्री तेजसिंह पिता भेरूसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुआ, महुडा तह. मावली।
4. श्री प्रतापसिंह पिता भेरूसिंह राव निवासी देवीसिंह जी कुंआ, महुडा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित– **1.** श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुखदेव सिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षीगण ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 17.05.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पलानाकलां, पटवार क्षेत्र पलानाकलां की आराजी नम्बर 1265 किता 1 रकबा 11 बीघा कृषि भूमि स्थित हैं जो वर्तमान में मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजन तथा विपक्षीगण व अन्य के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।
2. उक्त आराजी एवं अन्य आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने एवं उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर बिना बंटवाडा करवाये निर्माण कार्य नहीं कराने के लिए एक वाद मुझ प्रार्थी व अन्य ने विपक्षीगण व अन्य सहखातेदारान के विरूद्व न्यायालय आपमें पहले से ही कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 92/17 रे.वाद है जो जैर कार्यवाही है। उसी वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0टि0एक्ट0 का प्रस्तुत कर रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 63/17 प्रार्थना पत्र है जिसमें माननीय न्यायालय आप द्वारा दिनांक 28.04.17 को विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा जारी कर रखी है जिसमें आगामी पेशी भी 02.08.2018 की नियत हैं।
3. यह कि वर्तमान में उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त में है तथा उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है जिसकी जानकारी विपक्षीगण को है और विपक्षीगण ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दी है। इस प्रकार विपक्षीगण को मामले के तथ्यों की एवं न्याालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की पूर्णतया जानकारी है इसके बावजूद भी विपक्षी सं. 4 के साथ अब विपक्षी सं. 1 से 3 ने भी उक्त संयुक्त खाते व कब्जे की कीमती जमीन पर जबरन ताकत के बल पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डलवा दी और द्रुतगति से दिन–रात निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मुझ

प्रार्थी ने विपक्षीगण को उक्त भूमि पर कोर्ट से स्टे होने की बात कह कर विपक्षीगण को संयुक्त खाते व कब्जे की जमीन पर निर्माण कराने से मना किया तो विपक्षीगण मेरे साथ मॉ–बहिन की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हूए और धमकी दी कि हम हमारी मरजी होगी वहां पर निर्माण करायेगे और कोई हमको रोकेगा तो उसे जान से खतम कर देगें।

4. चूंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है और अभी तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है फिर भी विपक्षीगण जोर जबरदस्ती से बंटवाडे के वाद का निर्णय नहीं होने एवं माननीय न्यायालय से स्टे जारी होने के बावजूद सामलाती भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने की नियत से ताकत के बल पर मारोमार निर्माण करवा रहे है और मना करने पर मरने मारने पर उतारू हो रहे है इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूॅ कि विपक्षीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में चल रहे बंटवाडे के वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके पर यथावत् स्थिति बनाये रखें।
5. मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफेसी केस हैं क्योंकि उक्त वर्णित संयुक्त खाते व कब्जे की है जिसका अभी तक विधिक रूप से विभाजन किया हुआ नहीं हैं। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार मौके पर सामलाती रूप से काबिज हो काश्त कर रहे है किन्तु विपक्षीगण उक्त भूमि में से अच्छी किस्म की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे है और इसी उद्देश्य से भारी मात्रा में कारीगर मजदूर लगाकर दिन–रात कार तामीर करवा रहे है और मौके की स्थिति को निरन्तर परिवर्तित कर रहे है जबकि विपक्षीगण को संयुक्त कब्जे व खाते की भूमि पर इस प्रकार का कार्य करने की कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारान का हक व हिस्सा होता हैं। इसलिए सुविधा संतुलन व अशोधनीय हानि का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को ज्यादा नुकसान होगा व मुकदमेंबाजी बढेगी जबकि विपक्षीगण को कोई हानि नहीं होगी।
6. बिनाय मुखास्मत दिनांक 03.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि में से अच्छी किस्म की जमीन पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डलवाकर काफी तादाद में कारीगर मजदूर लगाकर द्रुतगति से निर्माण कराना चालु किया और मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हुए से उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1265 रकबा 11 बीघा जो हमारे संयुक्त खाते व कब्जे की है उसका जब तक विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक किसी विपक्षीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा नहीं करें, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहूंचावें, उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 1265 रकबा 11 बीघा कृषि भूमि वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड में हम विपक्षीगण व प्रार्थी के नाम पर संयुक्त रूप से अवश्य अंकित है परन्तु मौके पर उक्त भूमि का हम उभय पक्षकारान के मध्य पूर्वजो के समय से बंटवाडा आपसी सहमति से कर रखा है व उसी आपसी सहमति से हूए बंटवारानुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि

पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हम विपक्षीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर लाखो रूपयों की लागत व परिवार सहित श्रम कर आबादान की है व काबिल काश्त बनाई है, अपने हिस्से की भूमि पर लाखो रूपया लगाकर कुआ खुदवाया एवं उस पर विद्युत मोटर लगाई व विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी अपने नाम पर ले रखा है। इतना ही नही हम विपक्षीगण के हिस्सें व कब्जे की भूमि के मौके पर हमने पाली डोली व बाड बना रखी है और कुछ हिस्सा भूमि पर खेती के औजार व घास इत्यादि रखने एवं अपने रहने के लिए मकानात बना रखे है जिसमें हम अपने अपने परिवार सहित प्रार्थी की जानकारी में निवास करते आ रहे है और स्वंय प्रार्थी ने भी अपने हिस्सें की भूमि पर बाड बना रखी है व स्वयं के निवास के लिए मकान बना रखा है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहा हैं। चूंकि हम विपक्षीगण ने अपने हिस्सें की भूमि पर लाखों रूपयों की लागत लगाकर व परिवार श्रम कर काफी उपजाउ बना दी है व कुआ खुदवा रखा है जिससे प्रार्थी की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है और हमारे हिस्से की उपजाउ भूमि को हडपने की नियत से जानबूझकर यह जानते हूए कि उक्त भूमि का हमारे पूर्वजो के समय से आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है और उसी बंटवारानुसार बाप दादाओं के समय से अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे है फिर भी जानबूझकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर हम विपक्षीगण के विरूद्व वाद व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं हैं। हम विपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थी के साथ गाली गलोच नहीं की है न ही लडाई झगडा ही किया है और चूंकि उपर निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि का बंटवाडा हमारे पूर्वजों के समय से ही हो चुका है इसलिए हमें अपने हिस्सें की व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने व निर्माण कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

8. प्रार्थी का न तो प्राइमाफेसी केस है न ही सुविधा संतुलन ही उसके पक्ष में है और न ही इसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ही हो रही है क्योंकि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अवश्य संयुक्त रूप से अंकित हैं परन्तु मौके पर उक्त भूमि का हम उभया पक्षकारान के मध्य पूर्वजों के समय से बंअवारा आपसी सहमति से कर रखा है व उसी आपसी सहमति से हुए बंटवारानुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सें की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हम विपक्षीगण ने अपने हिस्सें की भूमि पर लाखों रूपया लगाकर कुआ खुदवाया एवं उस पर विद्युत मोटर लगाई व विद्युत विभाग से कनेक्शन भी अपने नाम पर ले रखा है। इतना ही नही हम विपक्षीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि के मौके पर हमने पाली डोली व बाड बना रखी है और कुछ हिस्सा भूमि पर खेती के औजार व घास इत्यादित रखने एवं अपने रहने के लिए मकानात बना रखे है जिसमें हम अपने अपने परिवार सहित प्रार्थी की जानकारी में निवास करते आ रहे है और स्वयं प्रार्थी ने भी अपने हिस्सें की भूमि पर बाड बना रखी है व स्वयं के निवास के लिए मकान बना रखा है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहा है इसलिए प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है न ही न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

9. हमारे विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण 03.06.2018 या कभी भी पैदा नहीं होता हैं क्योंकि उक्त भूमि का बंटवाडा हमारे पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से हो चुका है इसलिए अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थन पत्र मिथ्या एवं कपोलकल्पित तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित बिन्दुओ पर निम्नानुसार विवेचन हैः—
    1. **<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>**ः— वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है पक्षकारान की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में अविभाजित भूमि होकर पक्षकारान अपने हिस्से कब्जे अनुसार मौके पर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। चूंकि प्रार्थी विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहा हैं जबकि विपक्षीगण खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः विपक्षीगण प्रार्थना ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
    2. **<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति</u>** :— प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज है विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों ही खातेदार है। भूमि का बंटवाडा नहीं होकर अविभाजित सम्पति हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं बंटवाडें का वाद प्रस्तुत किया हैं। जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 63/17 प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की हैं एवं साथ ही उक्त प्रकरण सं. 71/18 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा हैं। चूंकि भूमि अविभाजित होकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के ही नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होगा। इससे पूर्व प्रकरण सं. 63/17 भंवरसिंह बनाम प्रतापसिंह भी अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका हैं। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गयें, ऐसी स्थिति में खातेदार विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो इससे विपक्षीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः विपक्षीगण खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित नहीं हैं।
13. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली